उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 27/2005/20/2013

हनु प्रसाद साहु बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20-02-2019	–:: **आदेश** ::– अभिलेख उपस्थापित। प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर रिवीजन वाद संख्या–14/2007 हनु प्रसाद साहु बनाम् राज्य में दिनांक–10.05.2013 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए, अपीलार्थी को सूचना निर्गत किया गया। साथ ही निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि उक्त प्रश्नगत् भूमि भूतपूर्व जमीन्दार से हुकूमनामा द्वारा हासील है। जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व जमीन्दार, जमीन्दारी रसीद एवं जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकारी लगान रसीद निर्गत होता चला आ रहा है। अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा विविध वाद संख्या–2/2003–04 हनु प्रसाद साहु बनाम् अंचल अधिकारी, गोला में दिनांक–12.09.2005 को आदेश पारित कर वर्षों से कायम जमाबन्दी को अवैध मानते हुए रद्द किया गया है, जिसे तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा यथावत् रखी गई है, जो नियम के प्रतिकुल है। इन्होंने उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–हेठबरगा, खाता नं०–153, प्लॉट नं०–1336, रकवा–7.34 एकड़ एवं प्लॉट नं०–1337, रकवा–1.39 एकड़ कुल जमा रकवा–8.73 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास, किस्म बांध दर्ज है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वर्त्तमान में उक्त प्रश्नगत् भूमि का स्वरूप बांध है। प्रश्नगत् भूमि के बावत कायम जमाबन्दी में सक्षम प्राधिकार का आदेश दर्ज नहीं है, जो संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य मे निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अपीलार्थी का अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। साथ ही निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को नियमानुसार अग्रेत्तर–आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 20/2/19 **उपायुक्त,** रामगढ़। 20/2/19 **उपायुक्त,** रामगढ़	128 नि०दि० 26/02/19